



मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल

83, मालवीय नगर, भोपाल-03 फोन : 0755-2572753, 2762978
https://shramkalyanmandal.mponline.gov.in

आवेदन पत्र का प्रारूप

कार्यालय उपयोग हेतु
उत्तीर्ण कक्षा श्रेणी
वर्तमान कक्षा श्रेणी
संस्थान चालू अथवा बंद
अभिदाय जमा करने की स्थिति (Y).....(N).....
आवेदन पत्र पूर्ण/अपूर्ण
आवेदन निरस्तीकरण का कारण
.....

सेवा क्र. 2.44
शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
(श्रम कल्याण मंडल)
वर्ष 2025-26
लोक सेवा पोर्टल पर आवेदन पत्र जमा
करने की प्रारम्भिक तिथि 15.07.2025
एवं अंतिम तिथि 30.10.2025 तक

आवेदक
छात्र/छात्रा का
नवीनतम फोटो
चस्पा करना
अनिवार्य है।

प्रति,

पदाभिहित अधिकारी
लोक सेवा गारंटी स्कीम
क्षेत्रीय अधिकारी / प्रभारी

- आवेदक (छात्र/छात्रा) का नाम :
- आवेदक का नाम अंग्रेजी में (In Block Letters) :
- पिता/माता का नाम श्री/श्रीमति :
- पिता/माता का नाम श्री/श्रीमति अंग्रेजी में (In Block Letters) :
- पिता/माता का आधार कार्ड नं. (छायाप्रति संलग्न करें) :
- जाति का निशान लगाये : अ.जा अ.ज.जा. पि. वर्ग सामान्य
- वर्तमान निवास का पूर्ण पता :
.....
- स्थाई निवास का पूर्ण पता :
.....
- विधानसभा क्षेत्र एवं वर्तमान जिला :
- आवेदक /माता/पिता का ई-मेल आई.डी. :
- दूरभाष : निवास मोबाईल नं. :
- संस्थान/स्थापना का नाम व पूरा पता :
.....
- संस्थान/स्थापना का नाम (अंग्रेजी में) :
- संस्थान/स्थापना का अभिदाय (SKML) :
- संस्थान/स्थापना का दूरभाष क्रमांक :
- संस्थान का ई-मेल आई.डी. :
- आवेदक छात्र/छात्रा का बैंक खाता क्र. : बैंक का नाम
बैंक का IFSC कोड : आधार कार्ड UID क्र. समग्र आई.डी.
- वर्तमान कक्षा (जिसमें छात्र/छात्रा वर्तमान में अध्ययनरत है) :
- उत्तीर्ण विगत कक्षा का विवरण : कक्षा पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत
- शैक्षणिक संस्था का नाम व पूरा पता :
(विगत वर्ष में उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची की स्व सत्यापित फोटो कापी, संलग्न करें)
- विगत कक्षा की शैक्षणिक संस्था का नाम जहाँ से छात्र/छात्रा उत्तीर्ण हुये :

नियोजक द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति हमारे संस्थान में पद पर कार्यरत है। इनकी कुल मासिक आय ई. पी. एफ. क्रमांक तथा ई.एस.आई. क्रमांक है। हमारे संस्थान का अभिदाय (LWF) कोड क्र. है।

नियोजक/प्रबंधक के हस्ताक्षर
एवं पद मुद्रा

छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा-पत्र

मैं श्री/कुमारी शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे पिता/माता श्री/श्रीमति कारखाना/संस्थान में पद पर कार्यरत है तथा इनकी मासिक आय है। मैं वर्तमान में महाविद्यालय में कक्षा में अध्ययनरत हूँ। मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मुझे किसी अन्य शासकीय विभाग अथवा संस्था से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है।

मेरे द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी पूर्णतः सत्य है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाये जाने की स्थिति में प्रस्तुत आवेदन पत्र मण्डल को निरस्त करने का अधिकार होगा।

आवेदक छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

आवेदक छात्र/छात्रा के पिता/माता के हस्ताक्षर

महाविद्यालय का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी पिता/माता श्री/श्रीमति वर्तमान में महाविद्यालय में कक्षा में अध्ययनरत है। इनके द्वारा विगत कक्षा प्राप्तांक प्रतिशत में उत्तीर्ण की गयी है। एवं इन्हें किसी अन्य शासकीय विभाग से छात्रवृत्ति/शिक्षा शुल्क प्राप्त नहीं होता है।

दिनांक

हस्ताक्षर

प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा सहित

छात्र/छात्रा का बैंक खाता आधार से सीडिंग (Seeding) होने का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरा बैंक खाता क्रमांक आई.एफ.सी. कोड क्रमांक मेरे आधार पत्र क्रमांक से सीडिंग (Seeding) है। इस संबंध में यदि त्रुटि होती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

आवेदक छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

आवेदक छात्र/छात्रा के पिता/माता के हस्ताक्षर

नोट : शासन के निर्देशानुसार हितलाभ राशि का भुगतान आधार बेस्ड पेमेंट अनुसार ही किया जायेगा अतः इस हेतु आवेदक छात्र/छात्रा का बैंक खाता आधार से सीडिंग (Seeding) होना आवश्यक है। आवेदक छात्र/छात्रा का बैंक खाता आधार से सीडिंग नहीं होने की स्थिति में हितलाभ राशि छात्र/छात्रा के खाते में हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी, जिसके लिये छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।

दिनांक

// नियमावली //

- 1 म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अन्तर्गत आने वाले म.प्र. में स्थापित कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों के प्राविण्य सूची में उत्तीर्ण बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिये शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग पुरस्कार राशि के रूप में प्रदान किया जाता है।
- 2 आवेदक छात्र/छात्रा को यदि किसी अन्य विभाग से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो उसे इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- 3 यह योजना म.प्र. श्रम कल्याण मंडल की शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है जो लोक सेवा गारंटी स्कीम के अंतर्गत सेवा क्रमांक 2.44 के रूप में अधिसूचित है। उक्त योजना म.प्र. लोक सेवा गारंटी स्कीम के अन्तर्गत सम्मिलित होने के कारण आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से पोर्टल www.mpedistrict.gov.in पर आनलाइन जमा किये जा सकेंगे।
- 4 इस योजना के अंतर्गत जनरल ग्रेजुएट (बी.ए., बी.काम, बी.एस.सी., बी.बी.ए.), जनरल पी.जी. कोर्सेस (एम.ए., एम.काम, एम.एस.सी., एम.बी.ए.), लॉ कोर्सेस, इंजिनियरिंग (बी.ई./बी.टेक), एम.ई./एम.टेक (70 प्रतिशत से अधिक तथा विगत परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य बैक/गैप नहीं होना चाहिये) एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस., फार्मसी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक (यू.जी.पी.जी. डिप्लोमा), (60 प्रतिशत से अधिक तथा विगत परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य बैक/गैप नहीं होना चाहिये) में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रत्येक कक्षा हेतु मंडल द्वारा निर्धारित शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।
- 5 इस योजना में एक श्रमिक के दो ही बच्चों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
- 6 योजना में किसी भी प्रकार की (चयन/निरस्तीकरण की) जानकारी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय/श्रम कल्याण केन्द्रों से प्राप्त की जा सकेगी।
- 7 इस आवेदन पत्र की फोटोकापी भी मान्य होगी। आवेदन के सभी कालम स्पष्ट भरना अनिवार्य है। अपूर्ण, गलत एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
- 8 एक योजना में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त किये जायेंगे।
- 9 अंतिम तिथि के बाद पोर्टल पर आवेदन दर्ज नहीं हो सकेगा एवं अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 10 आवेदन पत्र के साथ विगत उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची, छात्र/छात्रा का नवीनतम फोटो, बैंक पासबुक के मुख पृष्ठ जिसमें खाता क्रमांक, आईएफएस कोड, नाम का उल्लेख हो स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति तथा आवेदक का आधार पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 11 आवेदन पर निर्धारित कॉलम में छात्र/छात्रा, पिता/माता एवं नियोजक के हस्ताक्षर तथा पदमुद्रा एवं महाविद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अनिवार्य है।
- 12 योजना में चयनित छात्र-छात्रा को सहायता राशि सीधे आवेदक छात्र/छात्रा के बैंक खाते में स्वीकृति उपरान्त क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी।
- 12 योजना से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कल्याण आयुक्त का होगा।
- 14 शैक्षणिक संस्था के प्राचार्य से अनुरोध है कि औद्योगिक इकाइयों/स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों के अध्ययनरत पुत्र-पुत्रियों को मंडल की शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। अतः कृपया आवेदन पत्र सत्यापित करने का कष्ट करें।

कल्याण आयुक्त

म. प्र. श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल